न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क)/(ख)के अंतर्गत

परमिशन वाद सं0 209 वर्ष 2023

आवेदक– मोहन महतो
ग्राम– पोटसो
थाना– नावाडीह जिला–बोकारो

केता– तनुजा देवी
ग्राम– पोटसो
थाना–नावाडीह जिला–बोकारो

आदेश की क0 सं0 तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख 03
03/3/25	(see below)	

आदेश

यह वाद आवेदक–**मोहन महतो, पिता–स्व0 मोला महतो, पता ग्राम–पोटसो, थाना–नावाडीह, जिला–बोकारो** के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरणी निम्नवतः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	बिकी रकबा	भूमि दर्जा
पोटसो	**46**	**51**	**1491**	**92 डी0**	**05 डी0**	**रैयती टांड II, वर्तमान सवरूप टांड**

को वे आवश्यक कार्य हेतु मो0 2,50,000/–(दो लाख पचास हजार) रूपये में केता–**तनुजा देवी, पति–हितनारायण महतो पता ग्राम–पोटसो, थाना–नावाडीह, जिला–बोकारो** के साथ बिकी करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 1371/न्या0, दिनांक 16.12.2023 के माध्यम से अंचल अधिकारी नावाडीह से जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिकी अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी नावाडीह के पत्रांक–678, दिनांक–23.12.2024 से वांछित जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमे उनके द्वारा उल्लेख किया गया हैं कि:–

01. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों कुरमी (महतो) जाति के सदस्य हैं जो पिछडा वर्ग के अतंर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जिला–बोकारो के निवासी हैं।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में मीतन महतो वगै0 के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी–II मीतन महतो वगै0 के नाम से जमाबंदी दर्ज है एंव लगान रसीद वर्ष 2019–20 तक निर्गत हैं। जमाबंदी कायम होने का आधार खतियान हैं।
03. जमाबंदीधारी रैयत से बिक्रेता का संबंध दादा का है। बिक्री की जाने वाली भूमि बिक्रेता के हक व हिस्से के अतंर्गत आता है एंव बिक्रेता का दखल कब्जा में हैं।
04. प्रस्तावित भूमि भू–हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी0सी0एल0 अधिग्रहित क्षेत्र से बाहर हैं।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिकी करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया हैं।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने बयान में बतलाया गया हैं कि आवेदनाकिंत जमीन सर्वे खतियान में मीतन महतो वगै0 के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी–II मीतन महतो वगै0 के नाम से जमाबंदी दर्ज है एंव लगान रसीद वर्ष 2019–20 तक निर्गत हैं। बिकी वाली जमीन उसके हक हिस्से की हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होने प्रस्तावित जमीन का देखा है। उक्त जमीन कोई विवाद नहीं हैं, तथा वर्तमान में आवेदक के शांति पूर्ण दखल कब्जे में हैं।

उभय पक्ष अपने पक्ष निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करतें हैः–

01. बिक्रेता– खतियान की छायाप्रति हैं, लगान रसीद का छायाप्रति, आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

02. क्रेता– आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनो पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी नावाडीह से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनों कुरमी (महतो) जाति के सदस्य हैं जो पिछडा वर्ग के अतंर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि बिकेता के हिस्से की जमीन है, जो खतियान से प्राप्त है तथा हासिल है जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक–**मोहन महतो, पिता–स्व0 भोला महतो, पता ग्राम–पोटसो, थाना–नावाडीह, जिला–बोकारो** को निम्नांकित भूमिः–

मौजा	खाता न0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	बिकी रकबा	उ0 सीमा	द0 सीमा	पू0 सीमा	प0 सीमा
पोटसो 46	**51**	**1491**	**92 डी0**	**05 डी0**	**नीज क्रेता तनुजा देवी**	**जानकी महतो**	**गिरधारी महतो**	**रास्ता वाके है**
			कुल	05 डी0 (पाँच डिसमिल जमीन मात्र)				

मो0 2,50,000/–(दो लाख पचास हजार) रूपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से केता–**तनुजा देवी, पति–हितनारायण महतो पता ग्राम–पोटसो, थाना–नावाडीह, जिला–बोकारो** के साथ बिकी करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती हैं। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एंव संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

c.c.

Digitally signed by Mukesh Machhuwa
Date: 2025.09.02 15:32:02 +05:30
Location: 10.93.6.142